न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0 ए0 एस0)

प्रार्थना पत्र संख्या :–8/22 (विविध)

उनवान

1. मंगल पुत्र गोरधन जाति लोधा निवासी सुपावस तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. छिद्दी
3. विरजी
4. ओमप्रकाश

} पिसरान बिहारीलाल जाति गडरिया निवासी ग्राम सुपावस तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....................अपीलाण्ट

बनाम

1. जय सिंह
2. हरी सिंह

} पिसरान सुल्तान जाति मीना निवासी चक मैना तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.... रेस्पोडेण्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 जा0दी0 विरूद्ध निर्णय न्यायालय हाजा दि0 15.04.2019 प्र0स 47/18 उनवान मंगल बनाम जय सिंह।

उपस्थित :– श्री सोनीराम शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट।
श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता रैस्पोडेण्ट।

निर्णय — दिनांक :– 18.12.2023

1. यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 15.04.2019 व0उनवानी मंगल बनाम जय सिंह में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है। सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.04.2019 से मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार की जाकर खसरा नम्बर 982/0.56 है0 वाके ग्राम सुपावस तहसील कुम्हेर पर अपीलाण्ट को 0.33 है0 रकवा का एवं रैस्पो0 को 0.23 है0 रकवा का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था। परन्तु उक्त हिस्से निर्णय व डिक्री में नहीं दर्शाये गये हैं। जिससे राजस्व रिकार्ड में सही इन्द्राज नहीं हो पा रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 15.04.2019 में संशोधन किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा की मूल अपील पत्रावली एवं रैस्पो0 को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.04.2019 में मुताबिक राजीनामा उभयपक्षकारान के हिस्से नहीं खोले गये हैं। जिससे राजस्व रिकार्ड में न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना नहीं हो पा रही हैं। अतः न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.04.2019 में आंशिक संशोधन करते हुये, उभयपक्षकारान के हिस्से खोले जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र को सही व सत्य होना स्वीकारते हुये, निर्णय दिनांक 15.04.2019 में पक्षकारान के हिस्से अंकित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गयी।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। उभयपक्ष की सहमति से न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 15.04.2019 में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश दिये जाते हैं कि खसरा नम्बर 982 के 0.23 एयर पर वादीगण रैस्पो0 तथा शेष 0.33 एयर में से अपीलाण्ट प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा, अपीलाण्ट प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का वहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा व अपीलाण्ट प्रतिवादी संख्या 04 का 1/4 हिस्सा का खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति संबंधित तहसीलदार को वास्ते पालनार्थ भेजी जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/12/2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर